



राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 11(1)गृह-1/2025

जयपुर, दिनांक 28.04.2025

आज्ञा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम, 2011 के तहत निम्न राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों के चयन उपरान्त उनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	सुधा पालावत	अति० पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, श्रीगंगानगर	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़
2.	कालू राम वर्मा	अति० पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, कोटा शहर	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां
3.	विजय कुमार	अति० पुलिस अधीक्षक, त्वरित अनुसंधान ईकाई, झालावाड़	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर
4.	महावीर प्रसाद शर्मा/गोविन्द नारायण	अति० पुलिस अधीक्षक, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
5.	विनोद कुमार	अति० पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, सीकर	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर

(2)

इसके अतिरिक्त वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित निम्नांकित अति० पुलिस अधीक्षकगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम अधिकारी सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	महावीर प्रसाद/रावत राम शर्मा	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
2.	प्रेरणा शेखावत	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी	अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

भवदीय

Sal

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस